गोपीलाल व अन्य बनाम सुख व अन्य
प्रकरण संख्याः– 187 / 2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–12 / 02 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द(राज0)

प्रकरण सख्या – 187 / 2022 प्रार्थनापत्र
दायर दिनांक – 12 / 07 / 2022
निर्णय दिनांक – 12 / 02 / 2025

अनवान

1. गोपीलाल पिता वरदीचन्द जाति सुथार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. मोहनलाल पिता वरदीचन्द जाति सुथार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

बनाम

1. सुख पिता चतरू जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. लादुलाल पिता मिठालाल जाति जैन निवासी कुआंथल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द
3. गोवर्धन लाल पिता नाथु जाति सुथार निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. प्रेमचन्द पिता भंवरलाल जाति जैन(कटारिया) निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. लादुराम पिता आसुराम जाति गुर्जर निवासी कुआंथल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

: : निर्णय : :

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

गोपीलाल व अन्य बनाम सुख व अन्य
प्रकरण संख्याः– 187 / 2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–12 / 02 / 2025

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी और कब्जे की कृषि भूमि मौजा कुआंथल, पटवार हल्का कुआंथल, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द के खाता संख्या 707 आराजी संख्या 1851 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की होकर प्रार्थीगण इस पर कब्जे काश्त होकर उपभोग–उपयोग कर रहे है। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कुलिया आराजियात पर निर्बाध रूप से काश्त वगैरा करते चले आ रहे है किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारों तरफ पत्थर की पक्की बाउण्डरी सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि के सीमा से मिलते हुए पडौसी है व हर समय फसल बुवाई, कटाई के समय सीमा सम्बन्धी विवाद करते हैं तथा अनावश्यक प्रार्थी को मुकदमेबाजी के लिये विवश होना पड़ रहा है, मौके पर अशांति कायम रहती है, जिससे प्रार्थीगण शांतिपूर्वक भूमि का काश्त, उपयोग एवं उपभोग नहीं कर पा रहे है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजियात की भूमि के चारों तरफ अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 की भूमि है व उक्त भूमि प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि से मिलती है व अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पडोसी है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि से सीमा सम्बन्धी विवाद करते है। प्रार्थीगण की उक्त वर्णित आराजीयात जिस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है किन्तु अगर पत्थरगढी हो जाती हैं तो प्रार्थीगण को फसलों की बुवाइ–कटाई के समय अप्रार्थीगण से सीमा बाबत् जो विवाद बना रहता है वह हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा तथा प्रार्थीगण शांतिपूर्वक काश्त वगैरा व भूमि का उपयोग, उपभोग कर सकेंगी। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढी पेश किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है की प्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे की उक्त वर्णित आराजीयात जिसके खाता संख्या 107 आराजी नम्बर 1851 रकबा 0.3300 हैक्टेयर भूमि होकर जो मौजा कुआंथल, पटवार हल्का कुआंथल,

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

गोपीलाल व अन्य बनाम सुख व अन्य
प्रकरण संख्याः– 187 / 2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांकः–12 / 02 / 2025

तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द की सीमा में होकर वाके है, जिसकी पत्थरगढी कराए जाने के आदेश प्रदान करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 एवं 05 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 एवं 05 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से जवाब पेश नहीं करना चाहा जिस पर अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 निम्न प्रकार है :–

Sec. 111. Decision of disputes as to boundaries (1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession. (2) if in the course of an inquiry into a dispute under this section, the land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or if it is shown that possession has

सहायक कलेक्टर
देवगढ़,जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

गोपीलाल व अन्य बनाम सुख व अन्य
प्रकरण संख्या:— 187 / 2022(प्रा0पत्र)
आदेश दिनांक:—12 / 02 / 2025

been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.

Sec. 128. Boundary disputes.- All disputed concerning bound-aries shall be decided by the land Records Officer in the manner laid down in section 111.

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर मौजा कुआंथल, पटवार हल्का कुआंथल, तह0 देवगढ़, जिला राजसमन्द के खाता संख्या 707 आराजी संख्या 1851 क्षेत्रफल 0.3300 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों को सूचना पश्चात् उपस्थिति में सीमाज्ञान करते हुए प्रमाणिक राजस्व नक्शें के आधार पर सहमति से पत्थरगढ़ी की नियमानुसार कार्यवाही की जावें। यदि कब्जे / रकबा कम / ज्यादा संबंधी विवाद अथवा फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही नहीं की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 12 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला राजसमन्द
सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द